FROM No.III

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर (SDO) (नियम 26)

अज अदालत ....बायतु.... मुकाम ....

....खेताराम वगैरह.... बनाम ....हनुमानराम वगैरा....

किस्म मुकदमा ....रास्ता आवेदन.... नं. ....111/19.... सन् ....2019....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/03/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ....कुम्भासिंह चौधरी.... ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा ....111, 128 RLR.... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....08/05/19.... को पेश हो।	117 / 5/4/19
08/05/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 22/07/19 को पेश हो।	
22/07/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 16/10/19 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

/2019 प्रार्थी खेताराम पुत्र ... निवासी ...

16/10/19 प्रार्थी वकील उपस्थित । विपक्षीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित । न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ । लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थी के खातेदारी खेतों के सेढा मेढ विपक्षीगण के खेत आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगण के सेढो पर जो पुरानी माढ एंव कडो थे जो आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिसके कारण प्रार्थी व विपक्षीगण के खेतों के सेढो का सही ज्ञान नहीं हो रहा है तथा सेढो पर किसी प्रकार की कोई कच्ची पक्की माढ या चिन्ह आदि नहीं होने से विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जा शुदा खेत का जबरदस्ती सेढा तोड देते है एंवम् बरसात होने पर काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य तनाजा बना रहता है इसलिए प्रार्थी का नेक्षमवनी आवेदन स्वीकार कीया जाकर नेक्षमवनी आदेश कीया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेक्षमवनी आवेदन स्वीकार कीया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त कीया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेक्षमवनी मोके कमिश्नर शुल्क जमाकराकर करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। कमीशन अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली पेशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार (...)

(हस्ताक्षर) न्याय...

तहसीलदार ... बायतु

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

/2019/ 694 दिनांक:– 16/10/19

प्रार्थी — बनाम — विप्रार्थीगण

खेताराम पुत्र मानाराम जाति जाट वगैरा5 निवासी कोसरिया तहसील बायतु जिला बाडमेर

हनुमानराम पुत्र जेताराम जाति जाट वगैरा 14 निवासी कोसरिया तहसील बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 111/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा कोसरिया पटवार हल्का कोसरिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 311, 548/311 रकबा कमश 36.15, 05.09 बीघा कुल रकबा 42.04 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें। एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमिश्नर स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें। एवं पालना रिर्पाट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 695-99 दिनांक:– 16/10/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खेताराम पुत्र मानाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण हनुमानराम पुत्र जेताराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.12.01 12:50:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: